ग्राम पंचायत खटनोल, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला
के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2013 से 03/2016

1 (क) प्रस्तावना:- ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत खटनोल, विकास खण्ड बसन्तपुर , जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री रमेश कुमार	1.4.2013 से 22.1.2016
2	श्रीमति अनिता शर्मा	23.1.2016 से लगातार

सचिव:-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री धर्म प्रकाश	1.4.2013 से 13.5.2013
2	श्री प्रताप सिंह	14.5.2013 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत खटनोल के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5(क)	बैंक समाधान विवरण तैयार न करने के कारण रोकड़ बही और बैंक खातों में अन्तर	0.04
2	9	राजस्व की वसूली शेष	0.16

3	10	दिनांक 31.03.2016 तक अनुदानो का उपयोग न करना	21.52
4	12	स्थायी व अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियां न करना	0.40
5	13	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना सामग्री का क्रय करना	3.07
6	14	संविदाकार से वैधानिक कटौतियां न करना	0.15
7	15	राशि का समायोजन न करना	0.30
8	16	निर्माण सामग्री का उपयोग न दर्शाना	0.45
9	17	रॉयलिटी को राजकीय कोष में जमा न करना	0.06

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत खटनोल, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री मनजीत भाटिया , अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 3.9.2016 से 7.9.2016 व 14.9.2016 से 15.9.2016 तक ग्राम पंचायत खटनोल के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 9/2013, 7/2014, 3/2016 व 10/2013 , 10/2014, 11/2015 का चयन किया गया , जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया हैं।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत खटनोल, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र. शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 3, दिनांक 15.9.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत खटनोल से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत खटनोल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी।

(क) स्व स्त्रोत व विविध अनुदान :- ग्राम पंचायत खटनोल के अवधि 04/2013 से 03/2016 की स्व स्त्रोत व विविध अनुदानों (मनरेगा योजना को छोड़कर) की वित्तीय स्थिति का **"परिशिष्ट-क"** अनुसार विवरण नीचे दिया गया है।

सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों (मनरेगा योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों के अतिरिक्त) की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित करके बैंक खातों में जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों की आय/व्यय की खाता बहियों (Ledger Accounts) का अधूरा निर्माण किया गया था जिनमें आंकड़े संकलित न होने के कारण स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों की आय/व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका । अत: रोकड़ बही अनुसार वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से प्रस्तुत की गई है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013-14	945435.06	1246377	2191812.06	973475	1218337.06
2014-15	1218337.06	1686665	2905002.06	1304789	1600213.06
2015-16	1600213.06	2211803	3812016.06	1660264	2151752.06

नोट:- रोकड़ बही में मासांत/वर्षान्त प्रारम्भिक व अन्तिमशेष नहीं दर्शाये गए हैं । अतः रोकड़ बही अनुसार हस्तगत राशि के अतिरिक्त बैंक पास बुकों के दिनांक 1.4.2013 के प्रारम्भिक शेष को ही वित्तीय स्थिति का दिनांक 1.4.2013 का प्रारम्भिक शेष (**Opening Balance**) लिया गया है।

(ख) अनुदान :- ग्राम पंचायत खटनोल की अवधि 4/2013 से 3/2016 के अनुदानों (मनरेगा योजना) की वित्तीय स्थिति का **"परिशिष्ट-क"** अनुसार विवरण निम्न प्रकार से है:-

मनरेगा:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष

2013-14	92235	1564020	1656255	1656236	19
2014-15	19	1355878	1355897	1355897	0
2015-16	0	282043	282043	281949	94

नोट:- रोकड़ बही में मासांत/वर्षान्त प्रारम्भिक व अन्तिमशेष नहीं दर्शाये गए हैं । अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 1.4.2013 के प्रारम्भिक शेष को ही वित्तीय स्थिति का दिनांक 1.4.2013 का प्रारम्भिक शेष (**Opening Balance**) लिया गया है।

5 (क) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (2) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की जा रही है जिसके कारण दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही और बैंक खातों के अन्तशेष में निम्न विवरणानुसार ₹10,089/- का अन्तर पाया गया जिसमें से केवल ₹5,988/- की राशि का ही समाधान पाया गया। शेष राशि ₹4,101/- (10089-5988) का समाधान नहीं किया गया था। इस सन्दर्भ में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया गया कि बैंक समाधान विवरण तैयार न किए जाने के कारण यह अन्तर है जिसका समाधान शीघ्र कर लिया जाएगा। अत: नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही के अंतशेष और बैंक खातों के अन्तशेष के अन्तर ₹41,01/- का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

क्रम सं०	विवरण		राशि (₹)
1	रोकड़ बही पर आधारित वित्तीय स्थिति अनुसार शेष:-		2151846.06
	(i) स्व-स्त्रोत व विविध अनुदान- **पैरा 4(क)**	2151752.06	
	(ii) मानरेगा- पैरा **4(ख)**	94	
2	बैंक खातों के अनुसार शेष **(परिशिष्ट-ख)**		2161935.06
3	अन्तर		10089

अन्तर का कारण:-

1	रोकड़ बही पर आधारित वित्तीय स्थिति अनुसार शेष:-		2151846.06
	सामान्य रोकड़ बही अनुसार हस्तगत राशि	-112	10089

	(+) सामान्य रोकड़ बही से चैक संख्या: 524811 , दिनांक 30.7.2015 जारी किया जिसे दिनांक 31.3.16 तक नहीं भुनाया गया	6100	
	(+) राशि जिसका समाधान नहीं किया गया था	4101	
2	बैंक खातों के अनुसार शेष **(परिशिष्ट-ख)**		2161935.06

(ख) रोकड़ बही व बैंक खातों का नियमानुसार रख-रखाव न करना:-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में एक रोकड़ बही के निर्माण का प्रावधान है तथा नियम 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय और अनुदानों की प्राप्ति हेतु बैंक में दो खाते (खाता-'क" व खाता-'ख") खोले जाने का प्रावधान है। खाता-'क" में पंचायत के स्व-संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता- 'ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाये जाने का प्रावधान है। परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख अनुसार ग्राम पंचायत खटनोल में दो रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है तथा 13 विभिन्न बैंक खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विपरीत रोकड़ बहियों के निर्माण व बैंक खाते खोले जाने बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये। भविष्य में नियमानुसार ही रोकड़ बही व बैंक खातों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

6 निवेश:- सचिव ग्राम पंचायत खटनोल द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार पंचायत निधि से कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं थी।

7 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना:-

पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था , जोकि हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक हैं। अत: नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए:-

रोकड़ बही पृष्ठ	दिनांक	हस्तगत राशि (₹)
13	1.4.13	4923

15	23.5.13	1458
17	1.6.13	1493
22	24.8.13	1551
32	10.12.13	1670
13	5.9.14	1443
21	25.11.14	2294
27	3.1.15	1504
30	21.1.15	8790
35	30.1.15	4104
44	17.4.15	2495
60	14.9.15	1261
79	4.3.16	2004
80	15.3.16	1600

8 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म-11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाए।

9 पंचायत राजस्व ₹0.16 लाख की वसूली शेष:-

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा "**परिशिष्ट-ग**" में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक ₹15,820/- की राजस्व वसूली शेष थी। अत: उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने का कारण स्पष्ट किया जाये व इसकी शीघ्र वसूली सुनिश्चित की करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

10 अनुदान राशि ₹21.52 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट-क"** पर स्व-स्त्रोत व विविध अनुदानों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.3.2016 को कुल ₹ 21,51,752.06 की राशि उपयोग हेतु शेष थी। उक्त राशि में **परिशिष्ट-घ** के अनुसार कुछ अनुदानों जैसे 13वें एवं 14वें वित्त आयोग , आई०ए०वाई०, आर०ए०वाई० तथा एन०आर०एच०एम की राशि ₹5,51,801/- भी शामिल थी। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्व-स्त्रोत व विविध अनुदानों से संबन्धित आय-व्यय के सम्बन्ध में खाता बहियों (Ledger Accounts) का पूर्ण निर्माण नहीं किया गया है तथा आंकड़े संकलित न होने के कारण स्व-स्त्रोत व विविध अनुदानों के आय-व्यय को पूर्ण रूप से अलग-अलग नहीं किया जा सकता। अत: सुझाव दिया जाता हैं कि पंचायत निधि खाता- 'क" व खाता-'ख" के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन करके खाता बहियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.3.2016 को स्व-स्त्रोत व विविध अनुदानों के संकलित अन्तिम शेष में से विविध अनुदानों के अन्तिम शेष को अलग किया जाए तथा विविध अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण संबन्धित संस्था को किया जाए।

11 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही प्रकार से रख-रखाव नहीं करना-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 में विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अपेक्षित प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन , तकनीकी मंजूरी , मापन पुस्तिकाओं इत्यादि से संबन्धित अभिलेख का सही प्रकार से रख-रखाव नहीं किया गया था। पंचायत के अभिलेख को व्यवस्थित/क्रमवद्ध तरीके से नहीं रखा गया था। अतः भविष्य में सुझाव

दिया जाता है कि पंचायत के अभिलेख का रख-रखाव व्यवस्थित/क्रमवद्ध तरीके से किया जाये ताकि पंचायत द्वारा निष्पादित करवाये जा रहे लाखों रुपए के निर्माण कार्यों की उचित जांच सुनिश्चित हो सके व किसी भी प्रकार की वित्तीय चूक की सम्भावना न रहे।

12 ₹0.40 लाख के स्थायी व अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियां न करना:-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1)(ए० से डी०) के अंतर्गत पंचायत द्वारा क्रय की गयी वस्तुओं का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना आपेक्षित था। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा क्रय की गई ₹40,132/- की विभिन्न मदों, जिनका विवरण "**परिशिष्ट-ङ**" में दिया गया है, को भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना ₹3.07 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करना:-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचरिकतायें पूर्ण करना अपेक्षित है। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि " **परिशिष्ट-च"** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹3,06,530/- के स्टोर-स्टॉक का क्रय निविदाओं इत्यादि की औपचारिकता पूर्ण किए बिना किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टोर-स्टॉक का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 ₹0.15 लाख की संविदाकार से वैधानिक कटौतियां न करना:-

अकेक्षण के दौरान चयनित मासों के भुगतान वाउचरो की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु संविदाकारों को भुगतान किया गया था परन्तु

भुगतान बिलों से नियमानुसार ₹14,750/- की विभिन्न वैधानिक कटौतियां नहीं की गयी जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रम सं०	बिल संख्या	दिनांक	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	बिल राशि (₹)
1	005	23.10.13	जेसीबी मशीन द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला , खटनोल के खेल मैदान का निर्माण कार्य	श्री एन० के० शर्मा , गाँव ठेला , तहसील सुन्नी, जिला शिमला	50000
2	0517	9.11.15	जेसीबी मशीन द्वारा घुरपा से तलोटी शगाल्टू तक सड़क निर्माण	मै० फ्रैंड्स ऑटो केयर , मेन बाज़ार बलदेयां, शिमला-07	48330
				कुल	**98330**
				प्रतिभूति राशि (Refundable) 10%	9833
				आय कर 2%	1967
				बिक्री कर 2%	1967
				लेबर सैस 1%	983
				कुल	**14750**

अतः संविदाकार के भुगतान बिलों से वैधानिक कटौतियां न करने के कारण सरकार को राजस्व की हानि हुई जिसका उचित स्पष्टीकरण दिया जाये तथा अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये। इसके अतिरिक्त इन राशियों के "उपयोगिता प्रमाण पत्र" भी संबन्धित संस्थाओं को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

15 ₹0.30 लाख का समायोजन न करना:-

सामान्य रोकड़ बही के पृष्ठ-17 पर दर्ज़ वाउचर संख्या 35, दिनांक 30.10.2014 के अनुसार सचिव, ग्रामीण स्वास्थय स्वछता समिति को "स्वछता अभियान (एन०आर०एच०एम०)" के अन्तर्गत ₹30,000/- अग्रिम स्वरूप प्रदान की गयी। परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अग्रिम राशि का समिति द्वारा समायोजन नहीं करवाया गया था जो कि आपत्तीजनक है अतः राशि के समायोजन हेतु या तो समिति से व्यय के बिल/वाउचर प्राप्त किये जायें अन्यथा इसकी संबन्धित से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

16 ₹0.45 लाख की निर्माण सामग्री का उपयोग न दर्शाना:-

अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों में पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु निर्माण सामग्री का क्रय किया गया था। परन्तु मापन पुस्तिकाओं में अन्य विवरण के साथ निर्माण सामग्री की उपभोग तालिका नहीं बनाई गयी थी जिसके अभाव में निर्माण कार्यों हेतु जारी ₹45,371/- की सामग्री के वास्तविक उपयोग की पुष्टि न हो सकी जो कि अनियमित व आपत्तीजनक है। अतः पाई गयी अनियमितता बारे स्पष्टीकरण देते हुये उक्त जारी निर्माण सामग्री की उपभोग तालिका बनाई जाये तथा यदि कोई सामग्री शेष पाई जाती है तो इसे स्टॉक रजिस्टर में वापिस दर्ज करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये:-

क्रम सं०	कार्य का नाम	बिल सं०/दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मापन पुस्तिका व पृष्ठ सं०	राशि (₹)
1	टैंक निर्माण, हेमलता, दलाना	516/2.9.13	प्रेम प्रकाश गुड्स कैरियर, गाँव देयोठी, सुन्नी	रेट 180 घन फुट	11980/89	6000
2	टैंक निर्माण, नोख राम, शड़ोग	515/30.8.13	-यथोपरि-	रेट 180 घन फुट	54/32	6000
3	टैंक निर्माण, हेत राम, नलवी	514/29.8.13	-यथोपरि-	रेट 180 घन फुट	11980/87	6000
4	टैंक निर्माण, ललित कुमार, शिरगिली	153/30.9.13	मै० गुप्ता इंटरप्राइजेज़, सुन्नी	सरिया 86 कि०ग्रा०	11980/83	3920
5	टैंक निर्माण, नारायण दत्त, बाग	519/13.9.13	प्रेम प्रकाश गुड्स कैरियर, गाँव देयोठी, सुन्नी,	रेट 90 घन फुट	11980/98	3000
6	टैंक निर्माण, नोख राम, शड़ोग	154/30.9.13	मै० गुप्ता इंटरप्राइजेज़, सुन्नी	सरिया 86 कि०ग्रा०	54/32	3920
7	टैंक निर्माण, हेत राम, नलवी	156/30.9.13	-यथोपरि-	सरिया 86 कि०ग्रा०	11980/87	3920
8	टैंक निर्माण, देवी राम, बाग	155/30.9.13	-यथोपरि-	सरिया 85 कि०ग्रा०	11980/96	3911
9	निर्माण महिला	415/28.10.15	प्रेम प्रकाश गुड्स कैरियर ,	रेट 180 घन	कार्य का	8700

	मण्डल भवन, पंजैली		गाँव देयोठी, सुन्नी	फुट	एम० बी० में कोई विवरण नहीं	
					कुल	**45371**

17 ₹0.06 लाख की रॉयलिटी राजकीय कोष में जमा न करवाना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट-छ"** के अनुसार अंकेक्षणाधीन अवधि में विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे रेट , बजरी इत्यादि के खनन पर आपूर्तिकर्ताओं से ₹5,903/- की रॉयलिटी की कटौती/प्राप्ति की गयी परन्तु इस राशि को सरकार के संबन्धित आय लेखा शीर्षक के अन्तर्गत राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया था जो कि अनियमित है। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण देते हुये रॉयलिटी की राशि को शीघ्र राजकीय कोष में जमा करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

18 (क) विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर /अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	मासिक बैंक समाधान विवरणी		7(2)
2	क्लासिफाइड अब्सट्रेक्ट (Classified Abstract)	8	29(4)
3	विविध माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72(1)(डी०)
5	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

(ख) निम्न रजिस्टरों का उचित रख-रखाव न करना:-

क्रम संख्या	रजिस्टर/ अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1	खाता बहियाँ (Ledger Accounts)	7	29(1)	रजिस्टर में केवल निर्माण कार्यों की प्रविष्टियां दर्ज थी जो कि पूर्ण नहीं थीं।
2	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 से 26	72 (1) (ए० से सी०)	रजिस्टर पूर्ण नहीं था।

19 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट , लेखे , संपरीक्षा , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित हैं। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 लघु आपति विवरणिका :- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई हैं लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया ।

21 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव एवं सुधार की अधिक आवश्यकता है।

हस्ता / –
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(i) 29 / 2016–खण्ड–1–913–916 दिनाँकः09.02.2017
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत खटनोल, विकास खण्ड बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश

जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.